पत्रांक–बा० नि० रूपां० प्र०–1–T–20/2025– 154

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।
Email-cenhnorthbihar@gmail.com

पटना, दिनांक– 09/06/2026

विषयः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन Improvement of two lane with paved shoulder from Ramnagar to Roseda from Km 3.500 to Km 43.00 of NH-527E on EPC mode in the state of Bihar(Job no NH-527E /2021-22/BR/50) के तहत बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, हथौड़ी अंतर्गत बागमती नदी के दाँयें ओर अवस्थित हायाघाट–कराचीन तटबंध के कि०मी० 16.00 पर गुजरने वाली NH–527E पर प्रस्तावित HL RCC Bridge निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन Improvement to two lane with paved shoulder from Ramnagar to Roseda from Km 3.500 to Km 43.00 of NH-527E on EPC mode in the state of Bihar(Job no NH-527E /2021-22/BR/50) के तहत बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, हथौड़ी अंतर्गत बागमती नदी के दाँयें ओर अवस्थित हायाघाट–कराचीन तटबंध के कि०मी० 16.00 पर गुजरने वाली NH–527E पर प्रस्तावित HL RCC Bridge निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निम्न जलीय आँकड़ों एवं शर्तों के साथ दी जाती हैः–

जलीय आँकड़ेः–

Design Discharge of River	291000 Cusec
HFL	51.121 m

शर्तेंः–

1. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बागमती नदी के दाँयें ओर अवस्थित हायाघाट–कराचीन तटबंध के कि०मी० 16.00 पर गुजरने वाली NH–527E पर प्रस्तावित HL RCC Bridge निर्माण कार्य विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप कराना सुनिश्चित कराना होगा।
2. बागमती नदी का Design Discharge 8245 cumec के आलोक में पुल का रूपांकण एवं तद्नुसार निर्माण कार्य कराना होगा।
3. विषयांकित स्थल पर नदी के HFL से 1.80 m Free Board रखते हुए Girder का Sofit Level का निर्धारण रूपांकण में करना होगा।

4. प्रस्तावित पुल के U/S एवं D/S में बाएँ एवं दाएँ दोनों तटबंध की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य IRC Code 89-2019 के प्रावधानों के अनुरूप कराना होगा।
5. विषयांकित स्थल पर बाँये एवं दाँये तटबंध का निरीक्षण हेतु Servic Road का प्रावधान करना आवश्यक होगा।
6. पुल निर्माण के दौरान सभी अपेक्षित मानकों का पूर्णतः पालन किया जाएगा एवं पुल निर्माण कार्य सभी सुरक्षात्मक उपायों के साथ कराना होगा।
7. किसी भी Pier/Abutment का निर्माण तटबंध के स्लोप पर नहीं करना होगा।
8. कार्यस्थल के आवश्यक बिन्दुओं पर Danger Post लगाना होगा, जिससे कि आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके।
9. पुल निर्माण के दौरान नदी के धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं करना होगा ताकि जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
10. पुल के निर्माण के पश्चात् मरम्मति एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन कार्यकारी विभाग (पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना) द्वारा किया जायेगा।
11. बागमती नदी के चाट भूमि या नदी के किसी भी भाग से मिट्टी नहीं काटी जायेगी एवं नदी के बेड लेवल को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करना होगा कि पुल निर्माण के कारण किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही हो तथा अन्य जलीय संरचना क्षतिग्रस्त नहीं हो।
13. नदी के सेवापथ में Continuity हेतु नदी के दोनों तरफ के तटबंध में आवश्यक कार्य यथा Diversion सड़क, Ramp and Extra widening आदि का निर्माण कार्यकारी विभाग (पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना) को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
14. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में पुल निर्माण के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता कार्यकारी विभाग (पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना) की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशा–निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
15. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।
16. पुल निर्माण में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की होगी।
17. पुल के निर्माण से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा।
18. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।

19. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन के क्रम में सैद्धान्तिक सहमति केवल जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।

20. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग (पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना) का होगा ।

21. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।

22. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

23. Discharge Concentration को Maintain करने हेतु भविष्य में यदि पुल के किसी Vent में Silt Deposition की स्थिति दृष्टिगत होने पर कार्यकारी विभाग को स्वयं के व्यय पर Silt Deposition को हटाना होगा।

24. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तों को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराना होगा।

25. अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा की "प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।"

26. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक–यो०मो०–4 (विविध) 07–372/2020 पार्ट–II–143/पटना दिनांक–06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये **Flood Plain Zoning** के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

27. विभागीय पत्रांक–608, दिनांक–05.08.2024 की कंडिका–7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

28. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, हथौड़ी को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक– प्रा० मि० रूपां० प्र० -1-T-20/2025-154 पटना, दिनांक : 09/06/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/6/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय